मेसर्स डैडीज बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड. और एक अन्य

बनाम

मनीषा भार्गव और एक अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 1240/2021)

11 फरवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, न्यायाधिपतिगण]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 : धारा 13 - उपभोक्ता मंच को धारा 13 के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा शिकायत का जवाब दाखिल करने का समय 15 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाने का अधिकार है – अभिनिर्धारित : उपभोक्ता मंच के पास 45 दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान को स्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या शक्ति नहीं है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (2020) 5 **एस. सी. सी. 757 – अनुकरण किया गया।**

जे. जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एससीसी 635 : [2002] 1 पूरक, एससीआर 469 – निर्भरता व्यक्त की।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (2015) 16 एस. सी. सी. 20; रिलायंस

जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड 2021 (2) स्केल 451 – संदर्भित किया गया।

संदर्भित कानूनी मामले

2021 (2) स्केल 451	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 3**
[2002] 1 पूरक, एससीआर 469	**निर्भरता व्यक्त की**	**पैरा 5**
(2015) 16 एस. सी. सी. 20	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 5**
(2020) 5 एस. सी. सी. 757	**का अनुकरण किया गया**	**पैरा 5**

असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1240/2021

प्रथम अपील संख्या 1999/2018 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के निर्णय व आदेश दिनांक 04.09.2020 से उद् गमित।

आशीष चौधरी, शिवम बजाज, रोहित अमित स्थालेकर, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारान के लिए।

न्यायालय का आदेश **एम. आर. शाह, न्यायाधिपति द्वारा** पारित किया गया था।

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रथम अपील संख्या 1999/2018 में पारित किए गए विवादित आदेश दिनांक 4/9/2020 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे इसके बाद 'राज्य आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/9/2018 की पुष्टि करने वाली उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता शिकायत, मूल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लिखित संस्करण / लिखित बयान दाखिल करने में देरी की क्षमा की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्रस्तुत किया है।

2. दिनांक 26.09.2018 के आदेश द्वारा, राज्य आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उपभोक्ता शिकायत के लिए लिखित बयान/लिखित संस्करण दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी। यह विवाद में नहीं है कि लिखित संस्करण / लिखित बयान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रदान की गई सीमा की निर्धारित अवधि से परे दायर किया गया था, यानि कि 45 दिनों की अवधि से आगे। यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लिखित संस्करण / लिखित बयान 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना आवश्यक है और इसे 15 दिनों की और अवधि के लिए

बढ़ाया जा सकता है। राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की पुष्टि राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई। इसलिए, यह वर्तमान विशेष अनुमति याचिका है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष चौधरी ने जोर देकर कहा है कि यह सच है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार नए मामले में इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, (2020) 5 एस. सी. सी. 757 में प्रकाशित, जिला मंच अधिनियम की धारा 13 के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा 15 दिनों की अवधि से आगे शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की जिला मंच के पास कोई शक्ति नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि जैसा कि पैराग्राफ 63 में देखा गया है, उक्त निर्णय केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि उपरोक्त निर्णय पूर्वव्यापी रूप से और विशेष रूप से उक्त निर्णय से पहले दायर शिकायतों पर लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में देरी की शर्त के लिए आवेदन दिनांक 26.09.2018 को राज्य आयोग के समक्ष विचार के लिए आया था और उस तारीख को रिलायंस जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड (डायरी संख्या 2365/2017, दिनांक 10.02.2017 को निर्णित) के मामले में इस न्यायालय का एक निर्णय था जिसमें उपभोक्ता मंच को यह निर्देशित किया गया कि एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों के निर्धारित समय से परे लिखित बयान को उपयुक्त शर्तों पर लागत के भुगतान सहित स्वीकार करेगा और प्रकरण मे आगे बढ़ेगा, इस तथ्य को ध

यान में रखते हुये कि इस न्यायालय के निर्णय न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, (2015) 16 एस. सी. सी. 20 में रिपोर्टेड, को एक व्रहद पीठ को भेजा गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि राज्य आयोग को उपभोक्ता शिकायत के लिखित बयान / लिखित संस्करण को दाखिल करने में देरी को माफ कर देना चाहिए था।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और जहां तक यह सवाल है कि क्या उस तारीख को जिस दिन राज्य आयोग ने आदेश पारित किया था, तो उस तारीख को, क्या राज्य आयोग के पास अधिनियम की धारा 13 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए 45 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति है, इस प्रकार, उक्त मुद्दा कि क्या राज्य आयोग के पास 45 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति है, अब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ने (2020) 5 एस. सी. सी. 757 में रिर्पोटेड के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए अनिर्णित नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि मद संख्या 63 में यह देखा गया है कि उक्त निर्णय भविष्यलक्षी रूप से लागू होगा और इसलिए उक्त निर्णय उस शिकायत पर लागू नहीं होगा जो उक्त निर्णय से पहले दायर की गई थी और / या उक्त निर्णय से पहले दायर की गई देरी की माफी के लिए आवेदन पर लागू नहीं होगा।

हालांकि, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जे. जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी, (2002) 6 एस. सी. सी. 635 में रिपोर्टेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जो कि एक तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला था, के अनुसार, उपभोक्ता मंच के पास अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से आगे जवाब/लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। हालांकि, इसके बाद, उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बावजूद, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक विपरीत विचार लिया गया और इसलिए मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया और संविधान पीठ ने जे जे मर्चेंट (उपरोक्त) के मामले में लिए गए विचार को फिर से दोहराया कि उपभोक्ता मंच के पास अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि से परे लिखित बयान को स्वीकार करने की कोई शक्ति और/या अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानि कुल मिलाकर 45 दिन। हालांकि, यह पाया गया कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) मे दिनांक 10/2/2017 मे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, बड़ी पीठ के निर्णय के लंबित रहने तक, कुछ मामलों में, राज्य आयोग ने 45 दिनों के निर्धारित समय से आगे दायर लिखित बयान में देरी को माफ कर दिया होगा और लिखित बयानों को स्वीकार करने वाले सभी आदेश प्रभावित नहीं होंगे, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 63 में कहा कि संविधान पीठ का निर्णय भविष यलक्षी रूप से लागू होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हममें से एक संविधान पीठ के उक्त निर्णय का सदस्य था।

5. अब जहाँ तक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10/2/2017 को के पारित आदेश पर दी गई निर्भरता का संबंध है, प्रथम अपील पर निर्णय लेते समय राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादित आदेश द्वारा विस्तार से निपटा गया है। जैसा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा उचित रूप से देखा गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं था कि उन सभी मामलों में जहां लिखित बयान 45 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था, देरी को माफ किया जाना चाहिए और लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए। दिनांक 10.02.2017 के आदेश में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित मंच किसी उपयुक्त मामले में 45 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे दायर लिखित बयान को लागत के भुगतान सहित उपयुक्त शर्तों पर स्वीकार करने और मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए खुला रहेगा। इसलिए, अंततः, यह संबंधित मंचों पर छोड़ दिया गया कि वे एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद लिखित बयान को स्वीकार करें। जैसा कि राष्ट्रीय आयोग ने देखा कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद लिखित बयान सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग ने गुण-दोष के आधार पर देरी को माफ करने के पहलू पर भी विचार किया है। किसी भी मामले में, जे. जे. मर्चेंट (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय और नए मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के बाद के आधिकारिक निर्णय न्यू इंडिया एश योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपरपज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (2020) 5 एस. सी. सी. 757, को देखते हुए, उपभोक्ता मंच के पास 45 दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान को स्वीकार करने का

कोई अधिकार क्षेत्र और / या शक्ति नहीं है, हम विद्वान राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज की जाती है।

एसएलपी खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा मे किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नही ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयो के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन मे भी उसी को उपयोग मे लिया जायेगा।